न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1096/2006/भरतपुर</u>

1. मोहन सिंह
2. शिव सिंह
3. विजय सिंह पुत्रगण कमलसिंह
4. कमलेश पत्नी शिव सिंह
5. हंसो देवी पत्नी मोहन सिंह
6. किशन लाल पुत्र गोकुल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम उसरानी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्योदान सिंह पुत्र रामसिंह मृतक जरिये वारिसान–
1/1. श्रीमती कप्तान कौर पत्नी श्योदान सिंह
1/2. सुखवीरसिंह पुत्र श्योदानसिंह
1/3. देवेन्द्रसिंह पुत्र श्योदानसिंह मृतक जरिये वारिसान–
1/3/1. अंशू पत्नी देवेन्द्रसिह
1/3/2. प्रियका पुत्री देवेन्द्रसिंह नाबालिग जरिये वली माता अंशू
1/3/3. प्रथम पुत्र देवेन्द्रसिंह नाबालिग जरिये वली माता अंशू
1/4. श्रीमती कुशमा कुमारी
1/5. श्रीमती सुनीता
1/6. श्रीमती राजकुमारी पुत्रियां श्योदानसिंह
2. श्यामलाल उर्फ डूंगरसिंह पुत्र कमलसिंह
3. वलवीरी पत्नी श्यामलाल
4. सुखा पुत्र किशनसिंह
5. सरमन पुत्र किशनसिंह
6. छिग्गा पुत्र किशनसिंह
7. सरदारसिंह पुत्र गठ्ठी
8. इन्द्रपाल पुत्र महावीर
9. बलवीर पुत्र महावीर
10. भौतिकी पुत्री महावीर
11. सुरजो पत्नी महावीर
12. निरंजन पुत्र गठ्ठी
13. भगवती पत्नी गठ्ठी
14. अरबसिंह पुत्र बाबु
15. मेघश्याम पुत्र बाबू
16. विरेन्द्रसिंह पुत्र बाबू

17.जयवीर पुत्र बाबू
18.गुपाल पुत्र बाबू
19.अंगुरी पुत्री बाबू
20.सुखवीरी पुत्री बाबू
21.विजयपाल पुत्र कारे
22.राजपाल पुत्र करारे
23.मटठे पुत्र कारे
समस्त जाति जाट निवासी उसरानी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
24. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री जे.पी. माथुर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1 के वारिसान की ओर से
शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 06.12.2018

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण संख्या–1 श्योदान ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा

88, 89, 188 व 53 का प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पक्षकारों की सम्मिलित भूमि है जिसमें से खसरा नम्बर 722, 738, 897 व 821 की भूमि कमलसिंह अकेले के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गयी जबकि कमलसिंह व श्योदान सिंह सगे भाई थे तथा आराजी संयुक्त परिवार की पैत्रिक भूमि थी। अतः वादी को उक्त विवादित खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत् विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 6, 7 व 8 ने जवाबदावा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-12-2003 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी मृतक प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-02-2006 से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-12-2003 को निरस्त कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरतो हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य

है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 722, 738, 897 व 821 की भूमि पर कमलसिंह का नाम सम्वत् 2012 से खुदकाश्त के रूप में दर्ज होने के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अलीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर विवादित आराजी का संयुक्त परिवार की अविभाजित आराजी होना मानकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी हिन्दू परिवार की सहखातेदारी की भूमि नहीं होकर कमलसिंह की खुदकाश्त की आराजी थी, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का कब्जा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-3-1951 से कमलसिंह को दिलाया गया था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-02-2006 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-12-2006 को यथावत बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 के वारिसान के ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी श्योदान एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 से 7 के पूर्वज कमलसिंह सगे भाई थे तथा अन्य आराजियात के साथ विवादित आराजी पक्षकार की हिन्दू परिवार की अविभाजित कब्जे काश्त की भूमि थी। उनका कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर

722, 738, 897 व 821 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय श्रीमती अनारकौर की जागीर में थी, अनार कौर वादी श्योदान एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज कमलसिंह की ताई थी तथा जागीरदारी प्रथा के प्रचलन के समय हिन्दू विधवा की जागीर की भूमि विधवा के निसन्तान होने की स्थिति में जागीरदार विधवा के परिवार के किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देते थे, अनारकौर निसन्तान थी ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजी कमलसिंह बडा होने से उसे अन्तरित हुई। इस प्रकार विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि थी जिसमें दोनों भाईयों के समान हक व अधिकार निहित है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समख कमलसिंह के एक पुत्र श्यामलाल ने इकबाली जवाबदावा पेश कर विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि होना एवं कमलसिंह व श्योदानसिंह का आधा आधा हिस्सा होना कथन किया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1996 आरआरडी पेज 79, 2002 आरआरडी पेज 564, 2001 आरआरडी पेज 366, 2016 आरबीजे पेज 667, 2002 आरआरडी पेज 125, 1997 आरआरडी पेज 429, 2012 आरआरटी II पेज 921, 2014 आरआरटी I पेज 695 एवं 2014 आरआरटी II पेज 1374 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6.. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मृतक प्रत्यर्थीगण संख्या–1 श्योदान ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 व 53 का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पक्षकारों की सम्मिलित भूमि है जिसमें से खसरा नम्बर 722, 738, 897 व 821 की भूमि कमलसिंह अकेले के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गयी जबकि कमलसिंह व श्योदान सिंह संगे भाई थे तथा आराजी संयुक्त परिवार की पैत्रिक भूमि थी। अतः वादी को उक्त विवादित खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत् विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 722, 738, 821 एवं 897 के साबिक खसरा नम्बर 754, 761, 714 एवं 671 थे। साबिक खसरा नम्बर 761, 754 व 671 जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 के अनुसार प्रतिवादीगण के पूर्वज कमलसिंह की गैर मौरूसी एवं कब्जे काश्त की आराजी होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। विचारण न्यायालय ने इसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–1 व 2 को वादी के विरूद्ध निर्णीत किया है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी जब प्रथम दृष्टया ही हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमि होना प्रमाणित नहीं हो तो वादी प्रत्यर्थी को विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत केवल मात्र कयास के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 722, 738, 821 एवं 897 की भूमि को हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमि होना मानने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी जब प्रथम दृष्टया ही दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पैत्रिक भूमि प्रमाणित नहीं हो

तो वादी प्रत्यर्थीगण को उक्त विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नम्बर 754, 75, 756, 760 व 761 की भूमि का कब्जा नायब तहसीलदार, कुम्हेर के आदेश दिनांक 28-03-1951 से प्रतिवादी के पूर्वज कमलसिंह को रमला व मंगला से दिलाया गया था। इस प्रकार प्रस्तत प्रकरण में निहित विवादित आराजी पक्षकारान के हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमि होना प्रमाणित नहीं होता है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-02-2006 को निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-12-2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य